भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 3213**

उत्तर देने की तारीख : 11.03.2026

**सिखों के धार्मिक मामले**

**3213. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के अध्यक्ष द्वारा सिख समुदाय के धार्मिक मामलों में कथित सरकारी हस्तक्षेप के बारे में चिंता व्यक्त किए जाने के संबंध में हाल ही में समाचार पत्रों में आई खबरों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है कि सिख धार्मिक मामलों में इस प्रकार के हस्तक्षेप की पुनरावृत्ति न हो और इस संबंध में एसजीपीसी के साथ कोई परामर्श या बैठक हुई है; और

(ग) उस सांस्थानिक प्रणाली का ब्यौरा क्या है जिसके माध्यम से सरकार सिख समुदाय से संबंधित मुद्दों का समाधान करती है और विगत तीन वर्षों के दौरान उसकी आयोजित बैठकों, लिए गए निर्णयों और सिख धार्मिक निकायों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) से (ग): जी, नहीं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को ऐसा कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है और न ही आयोग द्वारा ऐसा कोई मामला उठाया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम, 1992 की धारा 9(घ) के अनुसार, आयोग ने अल्पसंख्यक व्यक्तियों/संस्थानों/निकायों/संगठनों से प्राप्त सभी शिकायतों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया है।

सिख समुदाय के साथ आयोजित बैठकों के संबंध में, 2023-24 से 2025-26 (05.03.2026 तक) की अवधि के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ कुल 13 बैठकें आयोजित की गईं।

वर्ष 2023-24 से 2025-26 (05.03.2026 तक) के दौरान सिख समुदाय से प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

*****

**अनुबंध-I**

**‘सिखों के धार्मिक मामले’ विषय पर श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 11.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3213 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

वर्ष 2023-24 से 2025-26 (05.03.2026 तक) के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में सिख समुदाय से प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या नीचे दी गई है:

| **वर्ष** | **अभ्यावेदनों की संख्या** |
|---|---|
| 2023-24 | 307 |
| 2024-25 | 221 |
| 2025-26 (05.03.2026 तक) | 140 |

*****